

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित 5वें सीपीसी वेतनमान पर सीपीएसई के सीडीए पैटर्न कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2025 से डीए के भुगतान के - संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा सं. 2 और अनुलग्नक-III जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान का अनुसरण करने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता (डीए) की दरें, जो एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित होती हैं, को दर्शाया गया था, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग के दिनांक 14.06.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, सीपीएसई जिन्होंने डीपीई के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-डीपीई(डब्ल्यूसी) के संदर्भों में अपने वेतनमानों में संशोधन **नहीं** किया है, के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें, जो एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित हैं, निम्नानुसार हैं:

क) जिन सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों को डीपीई के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित मूल वेतन के साथ 50% डीए के विलय का लाभ **नहीं** दिया है, उनके मामले में देय डीए को दिनांक 01.01.2025 से **455% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 466%** किया जाता है।

ख) जिन सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों को डीपीई के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निहित मूल वेतन के साथ 50% डीए के विलय का लाभ दिया है, उनके मामले में, देय डीए को दिनांक 01.01.2025 से **405% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 416%** किया जाता है।

3. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

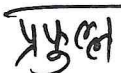
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार